राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान रेजीडेन्सियल एज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी (राईस)

कमरा नम्बर 411, अम्बेडकर भवन सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर। 0141-2220278

क्रमांकः एफ1(A)(140)स्था./राईस/सामान्य/2015/ दिनांक

आदेश

राईस द्वारा संचालित राजकीय आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु आरक्षण का प्रावधान एवं चयन की प्रक्रिया एवं पात्रता में राज्य सरकार के अनुमोदन उपरान्त निम्नानुसार संशोधन किए जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	वर्ग	प्रवेश में आरक्षण का निर्धारित प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति क्षेत्र में स्थापित विद्यालय हेतु	• 60% अनुसूचित जाति • 15% अनुसूचित जनजाति • 15% अन्य पिछडा वर्ग (विशेष पिछडा वर्ग सहित) • 10% आर्थिक पिछडा वर्ग
2.	अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में स्थापित विद्यालय हेतु	• 60% अनुसूचित जनजाति • 15% अनुसूचित जाति • 15% अन्य पिछडा वर्ग (विशेष पिछडा वर्ग सहित) • 10% आर्थिक पिछडा वर्ग
3.	विशेष पिछडा वर्ग क्षेत्र में स्थापित विद्यालय हेतु (देवनारायण आवासीय विद्यालय)	• 60% विशेष पिछडा वर्ग • 10% अनुसूचित जाति • 10% अनुसूचित जनजाति • 10% अन्य पिछडा वर्ग • 10% आर्थिक पिछडा वर्ग
4.	निष्क्रमणीय पशुपालकों के बच्चों हेतु आवासीय विद्यालय	• 100% निष्क्रमणीय पशुपालकों के बच्चों
5.	भिक्षावृति एवं अंवाछित वृत्तियों में लिप्त परिवारों के बच्चों हेतु आवासीय विद्यालय	• 100% भिक्षावृति एवं अंवाछित वृत्तियों में लिप्त परिवारों के बच्चों

उपरोक्त आरक्षित वर्गो में स्थानीय जिले के अतिरिक्त 50 प्रतिशत स्थान अन्य जिलों के लिए आरक्षित होंगे। आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु पात्रता:-

1. गत कक्षा में न्यूनतम 50 या 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के पात्र होंगे।
2. आवासीय विद्यालयों में उपरोक्त आरक्षित प्रतिशत संख्या तक उस वर्ग के विद्यार्थियों को निम्न प्राथमिकता के अनुरूप प्रवेश दिया जायेगाः-सर्वप्रथम अनाथ, तत्पश्चात् विधवा, परित्यक्ता, विशेष योग्यजन एवं बी.पी.एल परिवारों के पात्र पुत्र-पुत्रियाँ ।
   - कम संख्या 2 के अनुरूप जिन अनाथ, विधवा, परित्यक्ता, विशेष योग्यजन एवं बी.पी.एल परिवारों के पात्र पुत्र-पुत्रियाँ ने आवासीय विद्यालयों में आवेदन किया है उनको वरियतानुसार प्रति वर्ष 25 जून तक प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित किया जावे।
3. आरक्षित प्रतिशत संख्या तक उस वर्ग के कम संख्या 2 के अनुरूप परिवारों के बच्चे उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उसी वर्ग के 2.50 लाख रू. तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को प्राप्तांकों के आधार पर योग्यतानुसार प्रति वर्ष 10 जुलाई तक प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित किया जावे।
4. क्र.स. 2 व 3 के अनुरूप विद्यार्थियों के आवेदन पत्र उपलब्ध नहीं की स्थिति में अन्य वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष पिछडा वर्ग, अन्य पिछडा वर्ग, आर्थिक पिछडा वर्ग के BPL, विधवा, परित्यक्तता, विशेष योग्यजनों के विद्यार्थियों को एवं तत्पश्चात् इस वर्ग के 2.50 लाख रूपये की वार्षिक आय वाले विद्यार्थियों को प्राप्तांकों की योग्यतानुसार 20 जुलाई तक प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित किया जावे।

5. क.स. 2,3,4, में अंकित वरीयता/पात्रतानुसार विद्यार्थी उपलब्ध नहीं तथा आवासीय विद्यालय में सीट (स्थान) रिक्त होने की स्थिति में सम्बन्धित वर्गों के 50प्रतिशत से कम प्राप्तांकों वाले विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 31 जुलाई तक प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करें।

6. निष्क्रमणीय पशुपालकों के बालको हेतु आवासीय विद्यालय में केवल राजस्थान के निष्क्रमणीय पशुपालक (राईका, रेबारी, देवासी एवं अन्य जाति के पशुपालक) जिनके पास भेड़ों/बकरियों की संख्या 100 या अधिक हो, के परिवारों के छात्र ही आवेदन करने के पात्र है। पशुपालक का प्रमाणपत्र जिला अधिकारी, पशुपालन विभाग/विकास अधिकारी/तहसीलदार/ जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधि. विभाग, सरपंच, ग्रामसेवक, एवं पटवारी (हल्का) में से किसी एक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

7. भिक्षावृति व अवांछित वृतियों में लिप्त परिवारों के बालकों हेतु संचालित आवासीय विद्यालय में केवल राज्य के भिक्षावृति एवं अवांछित वृतियों में लिप्त परिवारों के बालक ही आवेदन करने के पात्र हैं। भिक्षावृति/अवांछित वृतियों में लिप्त परिवार के बालक होने का प्रमाण पत्र विकास अधिकारी/अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका/तहसीलदार/नायबतहसीलदार/जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/पुलिस थाना प्रभारी/वृत्ताधिकारी/पुलिस उपनिरीक्षक या इससे उच्च स्तर के अधिकारी में से किसी एक के द्वारा जारी किया गया हो।

8. शैक्षणिक सत्र 2015–16 से आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु 5 मई 2015 से ऑन लाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे।

9. आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को भी प्रवेश हेतु इस वर्ष ऑन लाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

(अम्बरीष कुमार)
निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
एवं सचिव राईस

क्रमांकः एफ1(A)(140)स्था./राईस/सामान्य/2015/ दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
4. संबंधित जिला कलेक्टर..
5. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी ....
6. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, (अनु.जाति एवं जनजाति कल्याण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं प्रभारी अधिकारी राईस जयपुर।
7. संबंधित उपनिदेशक/सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.........................
8. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर मुख्यावास को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर पर अपलोड करने हेतु।
9. प्रधानाचार्य, सम्बन्धित राजकीय आवासीय विद्यालय को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार प्रवेश की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे।
10. आदेश पत्रावली।

(डॉ. हरसहाय मीणा)
अतिरिक्त निदेशक
(अनु.जाति एवं जन. जाति कल्याण)
एवं प्रभारी अधिकारी राईस